राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 158वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **17.08.2023** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की **158वीं** बैठक **श्री अजय कुमार खुराना**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री श्रीकांत नामदेव, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्री रोहित पी. दास, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, डॉ राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री कमलेश कुमार चौधरी, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, श्री विकास अग्रवाल उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

श्री कमलेश कुमार चौधरी, महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 158वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 158वीं त्रैमासिक बैठक जून तिमाही समाप्त होने के 46 दिनों में आयोजित की जा रही जिसके लिए सभी हितग्राहक बधाई के पात्र हैं।
- <u>Expanding & Deepening of Digital Payments Ecosystem:</u>
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 में दिये निर्देशानुसार राज्य में 6 जिलों, करौली, अजमेर, जैसलमर, धौलपुर, सिरोही एवं बाराँ को 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाने हेतु चिन्हित किया गया है।
  - करौली ज़िला, 1 वर्ष की निर्धारित समय सीमा में 100% डिजिटल ज़िला बन गया है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पत्र दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाते हुए राज्य के सभी जिलों को 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाने हेतु कार्यवाही की जानी है।
  - शेष सभी जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से इस संबंध में अनुरोध है कि नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अपने जिलों के लिए 100% डिजिटलीकरण की समय-सीमा निर्धारित करे।
  - साथ ही सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि उचित कार्ययोजना बनाते हुए, राज्य को 100% डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में सक्रियता से प्रयास करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)
- <u>PM SVANidhi Scheme:</u> डॉ. भागवत कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, द्वारा Central Zone के अंतर्गत राजस्थान में PMSVANidhi की प्रगति की समीक्षा, भोपाल, मध्य प्रदेश में 28.08.2023 को प्रस्तावित है।

इसके दृष्टिगत सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजना में अधिक से अधिक संख्या में नए आवेदन प्राप्त कर उनमे ऋण स्वीकृत एवं वितरित करना सुनिश्चित करें तथा योजना में लंबित सभी आवेदनों का निपटान करने और संबंधित ULB के साथ समन्वय कर बैंक शाखाओं द्वारा लौटाए गए सभी आवेदनों की समीक्षा करने का निर्देश दें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऋण आवेदनकर्ताओं को बैंक तक पहुँचवाने एवं पुनः-प्रेषित ऋण आवेदनों के आवेदनकर्ताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हे पोर्टल से हटवाने हेतु सभी ULBs को निर्देशित करें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

- SVAMITVA Scheme: एसएलबीसी द्वारा पत्र दिनांक 28.07.2023 के द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में योजना को क्रियान्वित करावें तथा सभी सदस्य बैंकों के साथ इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश को साझा करे ताकि बैंक अपने स्तर से उनको लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठा सके।

  (कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- R-SETI Training Programmes: सभी आर-सेटी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि संबन्धित आर-सेटी की प्रभावशाली मोनिटरिंग करें एवं आर-सेटी निदेशकों को निर्देशित करें की प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उच्च आय प्रदान करने वाले कौशलों एवं उद्यमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें।

  (कार्यवाही: समस्त आर-सेटी संयोजक बैंक)

- स्वयं सहायता समूह- बैंक शाखाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते खोलते समय समूह के सभी सदस्यों के दस्तावेज़ मांगना, बार-बार सदस्यों को बैंक शाखाओं में बुलाये जाने वाले प्रकरण सामने आए हैं। नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों के ही दस्तावेज़ एवं शाखा में उपस्थिती अनिवार्य है। बैंकों से अनुरोध कि शाखाओं को यथानुसार निर्देशित करें। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय डोज़ में न्यूनतम निर्धारित ऋण राशि क्रमशः रु 1.50 लाख व रु 3.00 लाख प्रदान करना एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को राज्य एवं केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होने सदन को संबोधित करते हुए निम्नानुसार अवगत कराया-

- केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

- डॉ. भागवत कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, द्वारा Central Zone के अंतर्गत राजस्थान में PMSVANidhi की प्रगति की समीक्षा, भोपाल, मध्य प्रदेश में 28.08.2023 को प्रस्तावित है।

  इसके दृष्टिगत सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजना में अधिक से अधिक संख्या में नए आवेदन प्राप्त कर, उनमे ऋण स्वीकृत एवं वितरित करना सुनिश्चित करें तथा योजना में लंबित सभी आवेदनों का निपटान करने और संबंधित ULB के साथ समन्वय कर बैंक शाखाओं द्वारा लौटाए गए सभी आवेदनों की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दें। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्य **दिनांक 31.08.2023** तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करावें कि बिना ठोस कारण के ऋण आवेदन अस्वीकृत नहीं किए जावें। योजना के लाभार्थियों को बैंकिंग डिजिटल उत्पादों से जोड़ना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य सरकार से अनुरोध है कि PM-SVANidhi योजनान्तर्गत लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु ULBs को निर्देशित करें।

  (कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

- PMJJBY एवं PMSBY के तहत राज्य में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि बैंक ग्राहकों में उक्त योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु अपनी शाखाओं को निर्देशित करें एवं लक्ष्य प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति को बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ऋण, राज्य में उनकी कुल जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि बैंक ग्राहकों में अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु ऋण योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने एवं इस वर्ग को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने हेतु बैंक शाखाओं को प्रोत्साहित करें। साथ ही सभी बैंक, अनुसूचित जाति/ जनजाति को प्रदान किए गए ऋण के डाटा की जांच करें। स्टैंडउप-इंडिया योजना विशेषकर अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं महिलाओं के कल्याण के लिए हैं। सभी बैंक इस योजना के लक्ष्यों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Credit Outreach Programme:</u> दिनांक 19.06.2023 को माननीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित, वित्त मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान निर्देशित किया गया है-

- राजस्थान राज्य में 5 सबसे अधिक credit deficit जिलों यथा धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, राजसमंद और सिरोही में Credit Outreach Programme आयोजित करवाकर पात्र एवं ज़रूरतमन्द व्यक्तियों को पर्याप्त ऋण प्रदान किया जावे।
- निर्देशानुसार प्रत्येक ज़िले में 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 के बीच Special DLRC बैठक का आयोजन किया गया, ज़िले में बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों के बैंक खाते खोलने हेतु उपयुक्त कार्य योजना बनाई गई।

सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि विशेष DLRC बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

'100 Days 100 Pays' Campaign - भारतीय रिजर्व बैंक ने unclaimed deposits की वापसी के लिए **'100 Days 100 Pays' campaign** शुरू किया है। जिसमे सभी बैंकों को 01 जून, 2023 से 08 सितंबर, 2023 तक, 100 दिनों के भीतर, देश के प्रत्येक जिले में बैंक के शीर्ष 100 unclaimed depositors से संपर्क करना है और उनकी जमा राशि DEAF Fund से वापिस प्राप्त करनी है। अभी तक उक्त अभियान के तहत राज्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वे इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे कर अभियान को सफल बनाये।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

स्वयं सहायता समूह - राजीविका, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 18.08.2023 को जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम **"सखी सम्मेलन"** का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें राज्यभर से लगभग 20,000 महिलाओं द्वारा सहभागिता की जायेगी। सभी बैंकों से अनुरोध है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए अनंत संभावनाएं हैं तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों की तरफ से अधिकतम ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

राजस्थान के कुछ **नवीनतम घटनाक्रम**-

- राजस्थान सरकार द्वारा 19 नए जिले बनाने और फलस्वरूप राज्य में जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 होने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। प्रत्येक जिले में एक बैंक को अग्रणी बैंक चयनित करने की कार्यवाही भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
- **Brick & Mortar Branches**: DFS के निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में Brick and Mortar Branch खोलने के लिए **95 Locations** को चिन्हित किया गया है। जिनमें से **86** Locations पर शाखाएं पहले से कार्यरत हैं अथवा आवंटन के बाद खोली गई हैं। मैं सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध करता हूं कि वे आवंटित शेष **9** Locations पर जल्द से जल्द Branch खोलें।
- DFS द्वारा **13** गांवों की सूची प्रदान की गयी है जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है लेकिन वहां Brick and Mortar Branch नहीं है। सभी संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि **30.09.2023** तक आवंटित केन्द्रों पर Brick and Mortar Branch खोलना सुनिश्चित करें।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा 17.03.2023 को राज्य के **175** गांवो की सूची प्रदान की गयी है जो कि किसी भी Banking Outlet से covered नहीं है। अभी तक इनमें से **141** गांवो को Banking Outlet से covered कर दिया गया है एवं **34** केंद्र कवर करने हेतु लंबित हैं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

राज्य में बैंकों के विभिन्न **key indicators जैसे Business Growth, Priority Sector Lending आदि** की प्रगति-

जून, 2023 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business **रु 11.75 लाख करोड़** पहुंच गया है। बैंकों ने Deposit में **13.29%** की Y-o-Y Growth की है और Advances में **17.60%** की Y-o-Y Growth की है।

- राज्य का CD Ratio जून, 2023 तक **89.34%** है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। **Advances to Priority Sector** ने **13.86%** की Y-o-Y Growth की है जो satisfactory है। Agriculture Advances में **10.16%** की Y-o-Y Growth हुई है एवं MSME Advances में **20.75%** की Y-o-Y Growth हुई है। कृषि क्षेत्र की Y-O-Y Growth बढ़ाने हेतु AIF, PM FME इत्यादि योजनाओं के तहत अधिक से अधिक सावधि/ निवेश कृषि ऋण प्रदान करें।
- Financial Year 2023-24 में जून, 2023 तक **Total Priority Sector** के ACP के लक्ष्यों के सापेक्ष Achievement **50.90%** है। **MSME** के ACP मे Achievement **66.50%** और **Agriculture** के ACP में Achievement **44.67%** है।

उन्होने सूचित किया कि राज्य में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न योजनाओं के तहत प्रदर्शन संतोषजनक है एवं सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि निम्न योजनाओं में प्रगति की गति बनाए रखें एवं 100% लक्ष्य उपलब्ध करना सुनिश्चित करें-

- **PMEGP** के तहत लक्षित मार्जिन राशि के सापेक्ष **68.99%** स्वीकृति **(07 अगस्त, 23 तक)**
- **IGSCCY** के तहत आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष **49.61%** स्वीकृति **(01 अगस्त, 23 तक)**

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे **राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं** में अपना योगदान प्रदान करें। जैसे कि-

- इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- PMSBY के तहत राज्य स्तर पर 70% के लक्ष्य से अधिक उपलब्धि कर ली गयी है किन्तु APY एवं PMJJBY के तहत विशेषकर निजी एवं सहकारी बैंकों की प्रगति असंतोषजनक है।

- सभी बैंक Dormant PMJDY खातों को सक्रिय करने हेतु प्रयास करें। साथ ही जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के संतृप्ति अभियान के तहत, 30.09.2023 तक 70% लक्ष्य उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
- वित्त राज्य मंत्री द्वारा 28.08.2023 को भोपाल में Central Zone के तहत राजस्थान की PM SVANidhi योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा की जावेगी। सभी बैंकों से उक्त योजनान्तर्गत प्रदर्शन में सुधार करने का अनुरोध है, विशेषकर, निजी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक जैसे- इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक,।
- जिन बैंकों की वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्य उपलब्धि 25% से कम है, उनसे अनुरोध है कि उचित कार्ययोजना बनाते हुए, वार्षिक साख योजनान्तर्गत अपना प्रदर्शन सुधारें एवं लक्ष्य प्राप्त करें।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि पशुपालक एवं मत्स्यपालक समेत सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें एवं लंबित केसीसी ऋण आवेदनों का निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सरकारी बैंक)

- राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिन बैंकों द्वारा राज्य में वित्तीय साक्षारता एवं वित्तीय समावेशन के विस्तार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, उन्हे सरकारी व्यवसाय से लाभान्वित कर प्रोत्साहित करें।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ब्रिक एंड मोर्टर शाखा खोलने हेतु आवंटित 2 केन्द्रों पर, बैंक द्वारा कंसेंट प्रदान करने के उपरांत भी शाखा नहीं खोला जाना चिंतनीय है एवं स्वीकार्य नहीं है। बैंक से अनुरोध है की आवंटित केन्द्रों पर त्वरित ब्रिक एंड मोर्टर शाखाएँ खोलें।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

- 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक शाखा से रिक्त ग्रामों में ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलने के क्रम में, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक एवं यूनियन बैंक द्वारा क्रमशः 3 और 2 केन्द्रों पर शाखा खोलने की कंसेंट नहीं प्रदान की गयी है। दोनों बैंकों से अनुरोध है कि जल्द-से-जल्द उक्त केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु कंसेंट प्रदान करना एवं शाखा खोलना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

- भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध है कि उनके बैंक को आवंटित, बैंकिंग आउटलेट से रिक्त शेष 27 केन्द्रों पर जल्द से जल्द बैंकिंग आउटलेट खोल्न सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

- सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं बैंकों से अनुरोध है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सभी sector-wise लक्ष्य उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
- कुछ जिले, जिनका सीडी अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम 60% के मापदंड से अधिक है, उनमे कुछ खंडों का सीडी अनुपात असंतोषजनक है। इन खंडों का सीडी अनुपात सुधारने हेतु प्रयास करने का राज्य सरकार, संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख को व्यक्तिगत निमंत्रण दिये जाने के पश्चात भी, उनके द्वारा बैठक में

सहभागिता नहीं करना खेदपूर्ण है। इससे बैंक संबन्धित विषयों पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख से आगामी एसएलबीसी की बैठकों में उपस्थित रहने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- हाल ही में आयोजित 'प्रगति समीक्षा' बैठक में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा PM SVANidhi योजना के तहत प्रगति की स्वयं समीक्षा की गयी है। PM SVANidhi एवं IGSCCY के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें।
- बैंकों से अनुरोध है कि-
  - केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का राज्य में उचित क्रियान्वयन करते हुए इन योजनान्तर्गत लक्ष्य उपलब्धि एवं लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करावें।
  - उचित ऋण अनुशासन सुनिश्चित करें।
  - शाखा रहित आवंटित केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखाएँ खोलें।
  - अधिक से अधिक बैंक सखियों को बैंक मित्र के रूप में तैनात करें।
  - केंद्रीय सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY का बैंक ग्राहकों में प्रसार करने, एवं इनके अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को नामांकित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- बैंक परिसर में प्रदर्शित ग्लो साइन बोर्ड पर लगने वाले शुल्क पर छूट प्रदान किया जाना संभव नहीं है। कृपया इसे एसएलबीसी के एजेंडे से हटाएँ।
- जिन बैंकों से उचित स्तर के सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा एसएलबीसी की बैठकों में सहभागिता नहीं की जाती है, उन बैंकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
- DCC/ DLRC/ BLBC बैठकों की नियमितता की monitoring हेतु एक पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- निर्धारित समय सीमा में करौली के 100% डिजिटल ज़िला बनने, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की जून तिमाही की उप-समिति बैठकें एवं मुख्य बैठक, लीड बैंक स्कीम के अनुसार निर्धारित समय सीमा में आयोजित किए जाने एवं बाराँ, भीलवाड़ा, सीकर और उदयपुर जिलों की वार्षिक साख योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) को PLP, बैंको के कॉर्पोरेट लक्ष्य एवं क्षेत्र व बैंक की वास्तविक संभावनाओं से समायोजित करके तैयार करने पर सभी हितग्राहकों को बधाई।

- Pilot project की सफलता को देखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु शेष जिलों की वार्षिक साख योजना को भी PLP, बैंको के कॉर्पोरेट लक्ष्य एवं क्षेत्र/ बैंक/ शाखा की वास्तविक संभावनाओं से समायोजित करके तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(कार्यवाही: नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- सभी डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि लीड बैंक योजना के सशक्तिकरण के क्रम में अपने लीड जिलों में सक्षम एवं करियर-उन्मुख अधिकारी को अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के रूप में पदस्थापित करें एवं उन्हे उपयुक्त और पर्याप्त स्टाफ एवं अवसंरचना प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

- सभी प्रमुख बैंकों से अनुरोध है कि वे 19 नए जिलों में लीड बैंक की भूमिका निभाने के लिए आगे आएं। विशेषकर निजी बैंकों से नए जिलों के उत्थान हेतु लीड बैंक तंत्र में सक्रिय योगदान देने का अनुरोध है।
- सभी बैंकों से 100 Days 100 Pays अभियान के तहत अधिक से अधिक प्रगति करने का अनुरोध है।
- एसएलबीसी के सभी हितग्राहकों से अनुरोध है कि जलवायु परिवर्तन की चुन्नौती को अवसर में बदलते हुए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), कृषि उत्पादन, इत्यादि हेतु अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें.

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि आगामी वित्तीय वर्ष में One District One Product योजना के तहत प्रत्येक ज़िले में चिन्हित उत्पाद के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करें

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में वार्षिक साख योजनान्तर्गत क्षेत्रवार एवं कुल प्रदर्शन सराहनीय है।
- इस वित्तीय वर्ष राज्य में रु 1.86 लाख करोड़ का कृषि ऋण वितरित किया जाना अपेक्षित है।
- कृषि निवेश ऋण में गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष संतोषजनक वृद्धि हुई है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि राज्य में कृषि निवेश ऋण के स्टार को कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु सक्रिय प्रयास करें। इसके लिए AIF, PMFME, IMSUPY इत्यादि सावधि ऋण योजनाओं के तहत अधिक से अधिक ऋण वितरित करें।
- पशुपालक एवं मत्स्यपालक समेत सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- नाबार्ड द्वारा राज्य के विकास में योगदान देते हुए निम्न पहलें की गयी हैं-
  - निवेश ऋण बढ़ाने हेतु राज्य में 50 कार्यशालाएँ आयोजित की गयी।

- डुंगरपुर एवं सिरोही जिलों का सीडी अनुपात बढ़ाने हेतु संबन्धित ज़िला विकास अधिकारियों को सक्रियता कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- सभी PACS का निर्धारित समयसीमा में Computerization करने हेतु कार्यरत हैं।
- World's Largest Grain Storage Plan- Pilot आधार पर श्री गंगानगर के PACS में अनाज भंडारण स्थापित करने हेतु केंद्रीय सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ऋण स्वीकृत कर दिया गया है।
- केंद्रीय सरकार के Multipurpose Cooperative Society कार्यक्रम का राज्य में कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- FPO - राज्य में 300 से अधिक खाद्य उत्पादन संगठन हैं। सभी बैंकों से पात्र खाद्य उत्पादन संगठन का वित्तपोषन करने का अनुरोध है।
- Financial Inclusion Fund का निर्माण नाबार्ड के तत्वावधान में किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजनान्तर्गत वितरित किए गए ऋण का क्लेम प्राप्त करने हेतु समय से नाबार्ड को क्लेम आवेदन प्रेषित करें।
- पंचायती राज संस्थाओं में भीम यूपीआई को अपनाना हेतु राज्य सरकार से अनुरोध है।
- राजस्थान की 5 कलाकृतियों (artifacts) का GI (Geographical Indications) पंजीकरण किया जाना ताकि संबंधित कारीगर प्रीमियम मूल्य निर्धारण का लाभ उठा सकें।

तत्पश्चात **उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक** ने सदन के समक्ष वार्षिक साख योजना तैयार करने से संबन्धित मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) पर प्रस्तुतीकरण दिया व सभी से अनुरोध किया की आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सभी जिलों की वार्षिक साख योजना को भी PLP, बैंको के कॉर्पोरेट लक्ष्य एवं क्षेत्र/ बैंक/ शाखा की वास्तविक संभावनाओं से समायोजित करके तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 157th SLBC Meeting (27.06.2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 27.06.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.07.2023 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति संतोष जनक है-

Parameters	June, 2020	June, 2021	June, 2022	March, 2023	June, 2023*
No. of Branches (new Br in Yr.)	8,154 (17)	8,197 (16)	8,339 (23)	8,580 (335)	8,653 (42)
***Around 68.73% branches in Rural & Semi Urban.**					

Amt. in Rs. Crore					
Deposits **(% Y-o-Y Growth)**	4,52,930 (13.03%)	4,96,732 (9.67%)	5,53,997 (11.53%)	6,17,975 (12.95%)	6,27,602 (13.29%)
Advances **(% Y-o-Y Growth)**	3,62,328 (9.77%	4,05,510 (11.92%)	4,76,789 (17.58%)	5,47,021 (17.26%)	5,47,021 (17.60%)
CD Ratio	82.10%	83.27%	87.55%	88.52%	89.34%
PS Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	2,30,422 (8.96%) 63.59%)	2,57,304 (11.67%) (63.45%)	2,99,674 (16.47%) (62.85%)	3,32,679 (10.60%) (60.82%)	3,41,204 (13.86%) (60.85%)
Agri. Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	1,09,404 (10.47%) (30.19%)	1,20,663 (10.29%) (29.76%)	1,38,444 (14.74%) (29.04%)	1,50,456 (9.74%) (27.50%)	1,52,510 (10.16%) (27.20%)
MSME Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	82,833 (7.53%) (22.86%)	96,199 (16.14%) (23.72%)	1,23,561 (28.44%) (25.92%)	1,40,864 (16.47%) (25.75%)	1,49,196 (20.75%) (26.61%)

Achievement against stipulated benchmark on June 2023

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **1.79%** की वृद्धि हुई है।
- कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी में **2.00%** की गिरावट आई। हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 41,530 करोड़** की बढ़ौतरी हुयी है।
- कुल अग्रिमों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में **1.84%** की गिरावट आई। हालांकि कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 14,066 करोड़** की बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) की आवश्यकता के कारण माइक्रो खातों में **0.50%** की कमी आई है। सभी बैंकों से, मुख्य रूप से एसबीआई, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से अनुरोध किया कि माइक्रो उद्यमों का यूआरसी लेकर उनका वर्गीकरण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: एसबीआई, यूको बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक व समस्त सदस्य बैंक)
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 12,671 करोड़** की बढ़ौतरी हुई है। (नेट बढ़ौतरी **रु. 8,071 करोड़** रुपये)
- बैंकों द्वारा पात्र माइक्रो खातों में उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र लेकर कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी बढाई जा सकती है।

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
11	>100%	Barmer, Baran, Bhilwara, Bundi, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Pratapgarh, Nagaur, Sri Ganganagar and Tonk
14	71-100%	Alwar, Banswara, Bharatpur, Bikaner, Chittorgarh, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jhunjhunu, Jodhpur, Pali, Sawai Madhopur and Sikar
7	51-70%	Ajmer, Dholpur, Dungarpur, Karauli, Kota, Rajsamand and Udaipur
1	<50%	Sirohi

Districts having CD ratio lower than all India level (as on June, 23)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 12 जिलों यथा बांसवाड़ा(75.00%), भरतपुर (75.78%), पाली (72.40%), झुञ्झुणु (72.42%), कोटा (70.30%), सिरोही (47.78%), करौली (65.56%), अजमेर (64.36%), धोलपुर (65.29%), उदयपुर (68.66%), राजसमंद (67.52%) एवं डुंगरपुर (55.47%) का सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत (75.80%) से कम है। सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बांसवाड़ा, भरतपुर, पालि, झुञ्झुणु, कोटा, सिरोही, करौली, अजमेर, धोलपुर, उदयपुर एवं डुंगरपुर)

इनमे से सिरोही एवं डुंगरपुर जिलों का सीडी अनुपात 60% के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से भी कम है जो चिंतनीय है। उक्त जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं सभी बैंकों से अनुरोध है कि उपयुक्त कार्ययोजना बनाते हुए इन जिलों का सीडी अनुपात बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही व डुंगरपुर एवं समस्त सदस्य बैंक)

District wise per capita Deposit and Advances (as on 30th June, 23)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- सिरोही एवं डुंगरपुर जिलों में ऋण प्रति व्यक्ति क्रमशः रु 0.34 लाख एवं रु 0.27 लाख है एवं जमा प्रति व्यक्ति रु 0.71 लाख एवं 0.48 लाख है जो सराहनीय नहीं हैं।
- आकांक्षी जिलों यथा बाराँ, धौलपुर, जैसलमर, करौली एवं करौली में ऋण प्रति व्यक्ति क्रमशः रु 0.43 लाख, 0.20 लाख, 0.64 लाख, 0.23 लाख एवं रु 0.34 लाख है एवं जमा प्रति व्यक्ति क्रमशः रु 0.43 लाख, 0.31 लाख, 0.48 लाख, 0.35 लाख एवं 0.71 लाख है जो सराहनीय नहीं है।
- उक्त आंकड़ों में NBFCs द्वारा प्रदान किया गया अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

Districts having CD Ratio lower than 60% as on June, 2023

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने 60% से कम सीडी अनुपात वाले ज़िले डुंगरपुर एवं सिरोही का ब्लॉक-वार एवं बैंक वार विवरण सदन से सामने रखा-

- डूंगरपुर ज़िले के बिछिवाड़ा (0.18 लाख), चिखली (0.08 लाख), दोवाड़ा (0.02 लाख), गलियाकोट (0.31 लाख), झोंथरी (0.01 लाख), सबला (0.27 लाख) एवं सिमलवाड़ा (0.44 लाख) का जमा प्रति व्यक्ति, ज़िले के जमा प्रति व्यक्ति (0.48 लाख) से कम एवं असंतोषजनक है।
- डूंगरपुर ज़िले के असपुर (0.23 लाख), बिछिवाड़ा (0.07 लाख), चिखली (0.03 लाख), दोवाड़ा (0.01 लाख), गलियाकोट (0.12 लाख), झोठरी (0.01 लाख) एवं सबला (0.14 लाख) एवं का ऋण प्रति व्यक्ति, ज़िले के ऋण प्रति व्यक्ति (0.27 लाख) से कम एवं असंतोषजनक है।
- सिरोही ज़िले के पिंडवाड़ा (0.46 लाख), रेवदर (0.29 लाख) एवं शिवगंज (0.55 लाख) का जमा प्रति व्यक्ति, ज़िले के जमा प्रति व्यक्ति (0.71 लाख) से कम एवं असंतोषजनक है।
- सिरोही ज़िले के पिंडवाड़ा (0.14 लाख), रेवदर (0.19 लाख) एवं शिवगंज (0.30 लाख) का ऋण प्रति व्यक्ति, ज़िले के जमा प्रति व्यक्ति (0.34 लाख) से कम एवं असंतोषजनक है।

डुंगरपुर और सिरोही जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं जिलों में कार्यरत बैंको से अनुरोध है की उक्त खंडों में जमा प्रति व्यक्ति एवं ऋण प्रति व्यक्ति बढ़ाने हेतु सतत प्रयास करते हुए जिलों की जमा साख अनुपात में सुधार करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, डूंगरपुर एवं सिरोही, समस्त सदस्य बैंक)

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- दोवाड़ा, डुंगरपुर से बहुत समीप होने के कारण दोवाड़ा का व्यवसाय डुंगरपुर चला जाता है।
- उक्त खंडों में अभी भी साहूकारों द्वारा बड़ी संख्या में ऋण दिया जाता है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से इन खंडों में जमा प्रति व्यक्ति एवं ऋण प्रति व्यक्ति असंतोषजनक होने का कारणों का गहरा विश्लेषण करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, डूंगरपुर एवं सिरोही)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुरोध किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा राज्य में प्रदान किए गए ऋण का डाटा भी प्रति-व्यक्ति ऋण में सम्मिलित करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एनबीएफ़सी का डाटा प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

<u>Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 10.08.2023</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **95** स्थानों में से **30** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 20.06.2023 तक **56** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं जिनमे से **54** शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है एवं **09** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आवंटित केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा न खोलने एवं बैंक के अंचल प्रमुख द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिकृया व्यक्त की।

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने सदन को सूचित किया कि बैंक द्वारा शाखा खोलने हेतु आवंटित 3 केन्द्रों मे से 2 केन्द्रों पर **31 अगस्त 2023** तक शाखाएँ खोल दी जावेंगी। केंद्र बींजासर, ज़िला बाड़मेर में शाखा खोलने हेतु स्थान उपलब्ध करवाने के लिए बैंक द्वारा स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया है। किन्तु सीईओ, जिला परिषद, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 16.08.2023 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत बींजासर में बैंक शाखा खोलने हेतु कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, जिसे बैंक को उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होने राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया की बैंक को वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार बींजासर में ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोलने हेतु उचित स्थान उपलब्ध करवाएँ।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

साथ ही सूचित किया कि AIC बीमा कंपनी ने बैंक के ग्राहक कृषकों के खरीफ 2022 के बीमा क्लेम को अस्वीकार कर दिया है।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

New locations for setting up of Brick-and-Mortar branches

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 17.03.2023 के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को राज्य में बैंकिंग सेवा से रहित **3,327** ग्रामों की सूची प्रदान की है, जिनमे से **13** ग्राम, जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है, उन्हे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सदस्य बैंकों को आवंटित किया गया है, जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है-

Bank wise status of allocation of identified locations for Brick & Mortar Branches						
	Name of Bank	**No. of Villages Allotted**	**Already Covered By any Bank Branch (Updated on JDD App)**	**Consent for Opening of Branch**	**No of Branches Opened**	**No. of Branches pending for Opening**
	AU Small Finance Bank	2	0	2	0	2
	Bank Of India	3	0	3	0	3
	Bank of Maharashtra	2	0	2	0	2
	IDFC First Bank	3	0	0	0	3
	Union Bank of India	3	0	1	0	3
	Grand Total	**13**	**0**	**3**	**0**	**13**

उक्त सभी बैंकों से अनुरोध है कि आवंटित केन्द्रों पर **दिनांक 30.09.2023** तक ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना सुनिश्चित करें। साथ ही आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक से अनुरोध है कि उनको आवंटित 3 केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टार शाखा खोलने हेतु जल्द-से-जल्द सहमति प्रदान करें।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

प्रतिनिधि, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक ने सूचित किया कि आवंटित केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु व्यावहारिक स्थान नहीं मिल पा रहा है, साथ ही नेटवर्क संबन्धित समस्या भी है। उन्होने बैंक को ब्रिक एंड मोर्टर शाखाएँ खोलने हेतु 15-20 दिनों का और समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक से अनुरोध किया कि वह मुख्य सचिव महोदया के परिपत्र दिनांक 12.10.2022 का संदर्भ लेते हुए, आवंटित केन्द्रों पर शाखाएँ खोलने हेतु उपयुक्त स्थान प्राप्त करने हेतु स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेवें।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिनिधि, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक को एसएलबीसी की आगामी बैठकों में समय से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

(कार्यवाही: आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)

Uncovered villages within 5KM radius

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जन धन दर्शक ऐप्प के अनुसार राज्य में **175** ग्रामों में 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट नहीं है, जो बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा विभिन्न बैंकों को आवंटित कर दिये गए हैं। इनमे से **141** ग्रामों को विभिन्न बैंकों द्वारा बैंकिंग आउटलेट से कवर कर दिया गया है एवं **34** केंद्र बैंकिंग आउटलेट से कवर किए जाने हेतु शेष हैं जिनमे सबसे अधिक, **24** केन्द्रों पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोला जाना लंबित है। भारतीय स्टेट बैंक से शेष केन्द्रों पर जल्द-से-जल्द बैंकिंग आउटलेट खोलने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सदन को सूचित किया कि शेष 24 केन्द्रों पर बैंक मित्र तैनात करने हेतु बैंक द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जन सुरक्षा योजनाओं के संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 02-08-2023 तक की प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme As on 02.08.2023						
as on Date	PMJJBY		PMSBY		APY	
	Target	Enrolled	Target	Enrolled	Target	Enrolled
14.06.2023	69,15,500	28,43,511 (41%)	96,73,911	63,27,521 (65%)	56,33,175	9,40,308 (17%)
02.08.2023	69,15,500	30,36,629 (44%)	96,73,911	65,92,190 (85%)	56,33,175	9,70,035 (17%)
Progress		**1,93,118**		**2,64,669**		**29,727**

सभी बैंकों से अनुरोध है कि वह वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से सूचित किए गए, संतृप्ति अभियान के संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप, जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के तहत **सितंबर 2023** तक **70%** एवं **सितंबर 2024** तक **100%** लक्ष्य उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Atal Pension Yojna FY 2023-24:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में कुल **6,75,280** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 05.08.2023 तक **2,20,804 (33%)** नामांकन किए गए हैं जो संतोषजनक हैं।

किन्तु उक्त योजनान्तर्गत निजी बैंकों का प्रदर्शन असरहनीय है। सभी निजी बैंकों से, विशेषकर **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** से अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यबाही: समस्त निजी बैंक)

अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-

- वाणिज्यिक बैंक-39%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-34%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक-23%
- एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एवं एक्सिस बैंक-1%
- अन्य निजी बैंक- 17%
- सहकारी बैंक-7%

Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) Progress as on 30.06.2023

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि प्रति लाख जनसंख्या पर PMJJBY खातों में धौलपुर ज़िले का प्रदर्शन असंतोषजनक है। उन्होने संबन्धित डीसीसी संयोजक बैंक से अनुरोध किया कि PMJJBY के तहत ज़िले का प्रदर्शन सुधारने हेतु अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें एवं TFIIP से समस्त मापदण्डों में प्रदर्शन सुधारते हुये अगली एसएलबीसी मुख्य बैठक से पूर्व पीएमजेजेबीवाई के तहत **75%** लक्ष्य उपलब्धि सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, धौलपुर)

साथ ही अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, करौली से अनुरोध है कि इस तिमाही में PMJJBY के तहत **75%** से अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, करौली)

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि जिला करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, बाराँ एवं सिरोही को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है जिनमे से करौली ज़िले में जून, 2023 तक 100% डिजिटलिकरण उपलब्ध गया है। 100% डिजिटल ज़िलों हेतु करौली, अजमेर, धौलपुर, जैसलमर एवं सिरोही की प्रगति निम्नानुसार है:

Status of 100 % Digital District - Karauli - Ajmer - Dholpur - Sirohi - Jaisalmer - Baran

Sr. No.	District	Months	Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for Businesses (Current Accounts)		
			Eligible Operative Savings Accounts		% Coverage with at least one of the digital modes of payment				Total No. of Eligible Operative Current/ Business Accounts	Total No. of Accounts covered	% Coverage with at least one of the digital modes of payment
			No. of Accounts	Of which, no. of women accounts	Total No. of Accounts covered	All Accounts	Out of total no. of women accounts (G6), no of women accounts covered	women accounts			
1	Karauli	Jun-23	12.99 Lakhs	5.77 Lakhs	12.99 Lakhs	100.00	5.77 Lakhs	100.00	0.16 Lakhs	0.16 Lakhs	100.00
2	Ajmer	Jun-23	37.07 Lakhs	16.44 Lakhs	32.91 Lakhs	88.77	12.82 Lakhs	77.97	1.31 Lakhs	1.07 Lakhs	81.37
3	Dholpur	Jun-23	9.78 Lakhs	4.44 Lakhs	9.32 Lakhs	95.37	4.22 Lakhs	95.05	0.15 Lakhs	0.13 Lakhs	88.21
4	Sirohi	Jun-23	9.80 Lakhs	4.12 Lakhs	9.11 Lakhs	93.04	3.82 Lakhs	92.62	0.18 Lakhs	0.14 Lakhs	78.03
5	Jaisalmer	Jun-23	6.88 Lakhs	2.67 Lakhs	6.37 Lakhs	92.63	2.47 Lakhs	92.55	0.18 Lakhs	0.14 Lakhs	74.38
6	Baran	Jun-23	12.13 Lakhs	5.20 Lakhs	10.12 Lakhs	83.42	4.44 Lakhs	85.4	0.20 Lakhs	0.15 Lakhs	73.83

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सूचित किया कि दिनांक 28.07.2023 को आयोजित एसएलबीसी उप-समिति (वित्तीय समावेशन) की बैठक के दौरान आरबीआई द्वारा मौजूदा 5 चिन्हित जिलों यथा अजमेर, धौलपुर, सिरोही जैसलमेर और बारां में प्रत्येक पात्र खाताधारक को कम

से कम एक डिजिटल उत्पाद प्रदान करते हुए, **दिसंबर 2023** तक 100% डिजिटलीकारण उपलब्ध करने की सलाह दी गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, सदन के अनुमोदन से राज्य के शेष 28 जिलों में **बचत खातों** का 100% डिजिटलीकरण **दिसम्बर 2023** तक एवं **चालू खातों** का 100% डिजिटलीकरण **मार्च 2024** तक किए जाने का निर्णय लिया गया।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं बैंकों से अनुरोध किया कि सभी पात्र बैंक ग्राहकों को कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद प्रदान करते हुए, निर्धारित समय-सीमा में संबन्धित जिलों को 100% डिजिटल ज़िला बनाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

<u>Annual Credit Plan 2023-24</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2023-24 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 2,79,855 करोड़** के सापेक्ष जून, 2023 तिमाही तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- कृषि- 44.67%
- MSME- 66.50%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 27.26%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 50.90%

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में **25% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (17.88%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (7.70%), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (21.81%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (8.74%), बंधन बैंक (12.38%) एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक (23.14%) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, बंधन बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, **इंडियन ओवरसीज़ बैंक** ने सूचित किया कि आवंटित लक्षय बैंक की कुल शाखाओं के सापेक्ष बहुत अधिक हैं। बैंक का कुल अग्रिम portfolio रु 2,900 करोड़ है। उन्होने सितंबर माह के अंत तक **25%** लक्ष्य उपलब्ध करने का आश्वासन दिया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों द्वारा शाखाओं से चर्चा करने के उपरांत ही लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बैंक से एसएलबीसी को प्रेषित किया गया वार्षिक साख योजना का डाटा पुनः जाँचने का अनुरोध है।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक से अनुरोध किया कि आवंटित लक्ष्यों पर अपनी शाखाओं से साथ पुनः चर्चा करें तथा अद्यतित लक्ष्यों का सुझाव दें। किन्तु यह सुनिश्चित करें की सुझाए हुए लक्ष्य वास्तविक हों।

(कार्यवाही: इंडियन ओवरसीज़ बैंक)

प्रतिनिधि, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ने सितंबर 23 तक **50%** लक्ष्य उपलब्धि करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

प्रतिनिधि, **बंधन बैंक** ने सितंबर 2023 तक **45%** लक्ष्य उपलब्धि करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: बंधन बैंक)

प्रतिनिधि, **आरएमजीबी** ने सूचित किया कि जुलाई, 2023 में **25%** लक्ष्य उपलब्ध कर लिए हैं।

क्षेत्रीय निदेशक, **भारतीय रिजर्व बैंक** की टिप्पणी- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, राजस्थान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण बैंक हैं। इनके द्वारा वार्षिक साख योजनान्तर्गत 25% से कम उपलब्धि अस्वीकार्य है।

<u>100 Days 100 Pays Campaign</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मई 2023 को 01 जून 2023 से 08 सितंबर 2023 तक unclaimed जमा की वापसी के लिए '100 Days 100 Pays' अभियान शुरू किया है।
- अभियान के तहत सभी बैंकों को 100 दिनों के भीतर, देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 unclaimed जमा राशियों के स्वामियों का पता लगाना और और उन्हे राशि लौटाने का कार्य करना है।
- राज्य में अभी तक उक्त अभियान के तहत **1%** उपलब्धि है।

उप-महाप्रबंधक, **भारतीय रिजर्व बैंक** ने सूचित किया कि उक्त अभियान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के प्रमुख बैंकों के साथ 2 बार बैठकें की गईं हैं। उन्होने सभी बैंकों से उक्त अभियान के तहत सक्रिय प्रयत्न करते हुए अपना प्रदर्शन सुधारने के अनुरोध किया। इस हेतु बैंक के पुराने स्टाफ का सहयोग लेने की सलाह दी।

साथ ही सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगामी दिनों में एक पोर्टल लॉच किया जावेगा, जिसके माध्यम से जमाकर्ता स्वयं अपनी जमा राशि का पता लगा पाएंगे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Support required from State Governement</u>

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को निम्न मुद्दे में की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया-

- अलवर, भरतपुर, (समस्त पीएनबी) व पाली (एसबीआई) जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन से संबन्धित सभी मुद्दे।
- धौलपुर (पीएनबी), जालोर (एसबीआई) व चित्तोडगढ़ (बीओबी) जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि से संबन्धित सभी मुद्दे।

- डूंगरपुर व सिरोही जिलों में आर-सेटी भवनों के निर्माण के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा AG ऑडिट में विभिन्न प्रभारों (क्रमश: राशि रु. 58,930/- व रु. 8,59,320/- रुपये की वसूली से संबन्धित मुद्दे।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, **ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने निम्नानुसार सूचित किया-

- आर-सेटी, जालोर का मुद्दा ग्रुप-जी, राजस्व विभाग के स्तर पर लंबित है। विभाग को आर-सेटी हेतु भूमि-आवंटन की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करने के निदेश जारी कर दिये गए हैं।
- धौलपुर में 21.52 लाख रुपये कन्वर्जन शुल्क माफ करना का मुद्दा लंबित है। स्वायत्त शासन विभाग से इस संबंध में अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक को भवन निर्माण हेतु MoRD द्वारा 1 किश्त जारी कर दी गयी है।
- अलवर में आर-सेटी के लिए भूमि आवंटन करने हेतु ज़िला कलक्टर से अनुरोध किया गया है।
- भरतपुर में SMD के DO पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग से भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करवाने का अनुरोध किया गया है।
- अलवर, भरतपुर, पाली, जालौर एवं चित्तौड़गढ़ समेत डूंगरपुर एवं सिरोही के आर-सेटी भवन समबन्धित मुद्दे राजस्व विभाग के स्तर पर लंबित हैं।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, **राजस्व विभाग** ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त उक्त सभी मुद्दों की फाइलों पर **15 दिनों** में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

<u>Amendment in PDR Act, 1952</u>

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से, PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने बैठक के पश्चयात अतिरिक्त मुख्य सचिव से उक्त मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया।

<u>RACO RODA & SARFAESI Act</u>

- प्रकरण बकाया दिनांक 30.06.2023 तक
- ✓ RACO RODA - 1,45,341 Cases Amt. Rs. 3,562 Cr
- ✓ SARFAESI Act - 1,419 Cases Amt. Rs. 298 Cr.

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से उक्त मुद्दे पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया। साथ ही सदन को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही हेतु एसएलबीसी की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) की बैठक आयोजित करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा समय नहीं दिया गया है, जिस कारण यह बैठक नहीं हो पायी है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने के संबंध में</u>

- कृषि ऋण रहन पोर्टल को सभी जिलो में लागू करना एवं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने के संबंध में संबन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही लंबित है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

- अति. भू-प्रबंध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से सूचित किया है की "भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने की घटना न तो रहन पोर्टल से संबंधित है और न ही भू-प्रबंध विभाग से संबंधित है जबकि त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान डाटा फीडिंग के समय हुई है जो कि मौजूदा बैंक रहन प्रविष्टि के बिना ही सैग्रीगेट जमाबंदियों का अंतिम प्रमाणीकरण कर ऑनलाइन करवा दिया गया है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया जिला एवं तहसील स्तर से की जाती है। इस संबंध में संबन्धित जिला अग्रणी प्रबन्धकों व बैंक द्वारा कार्यवाही हेतु अनुरोध किया है।

<u>Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017)</u>

प्रतिनिधि, **स्वायत्त शासन विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि राजस्थान सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट देने से मना कर दिया गया है।

संयुक्त शासन सचिव, **राजस्थान सरकार** ने उक्त मुद्दे पर पुनः विचार करने हेतु संबन्धित विभाग से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग)

संयोजक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने संबन्धित विभाग से शुल्क में छूट हेतु ग्लो साइन बोर्ड का साइज़ 1 x 7 से बढ़ाने का अनुरोध किया।

<u>Support Required from Banks</u>

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया-

- डीएलआरसी/डीसीसी बैठकों में बैंकों के जिला समन्वयकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कृषि के तहत निवेश ऋण (सावधि ऋण) में वृद्धि कर 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के स्तर तक पहुंचाना।
- अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सभी लाभार्थियों को समय पर और पर्याप्त क्रेडिट प्रदान करना।
- PMFME योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) को बढ़ावा देना।
- जिलों के सीडी अनुपात में सुधार करना।
- राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना :
  - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (IGSCCY),
  - मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY),
  - डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना - 2022 (BRUPY),
  - इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPY) आदि।

➢ डिजिटल वित्तीय साक्षरता के प्रसार पर ध्यान देना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

संयुक्त शासन सचिव, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना जा शुभारंभ किया गया है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** की टिप्पणी- राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त योजना के दिशानिर्देश सभी बैंकों के साथ पूर्व में कई बार साझा कर दिये है व उक्त योजना की समीक्षा उप समिति बैठकों में नियमित आधार पर की जा रही है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न बैंकों द्वारा एसएलबीसी को त्रैमासिक डाटा प्रेषित करने की वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाते हुए सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को त्रुटि-रहित त्रैमासिक डाटा निर्धारित समयसीमा के अंदर भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 31.03.2023)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 30.06.2023 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **33.94%, 7.56%, 7.69% एवं 98.79%** हैं।

दिनांक 30.06.2023 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(29.15%)** से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.39%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.23%), यूको बैंक (6.36%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.77%), भारतीय स्टेट बैंक (10.05%), केनरा बैंक (9.02%), बीआरकेजीबी (10.07%), आईडीबीआई (10.20%), पंजाब और सिंध बैंक (15.94%), इंडियन बैंक (12.50%), बैंक ऑफ बड़ौदा (19.95%), पंजाब नेशनल बैंक (13.82%) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (25.51%).

उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु प्रयास करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, आईडीबीआई, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

<u>KCC Saturation Drive: District Level Special KCC Campaign for Animal Husbandry and Fisheries Farmers</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए 01 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान को फिर से शुरू करना सूचित किया है जिसके तहत प्रगति निम्नानुसार है:

Progress under KCC Campaign for Animal Husbandry & Fisheries from 15.11.2021 to 04.08.2023								
Sr. No.	Particulars			Cumulative No. of Applications under AHD & Fisheries				
				Received	Accepted	Sanctioned	Rejected	Pending
A	All Banks	Animal Husbandry	16.06.2023	1,67,842	1,60,709	1,01,075	59,467	167
			04.08.2023	1,72,034	1,64,883	1,05,190	59,480	213
			Progress	**4,192**	**4,174**	**4,115**	**13**	**46**
B		Fisheries	16.06.2023	560	557	195	350	12
			04.08.2023	627	624	262	350	12
			Progress	**67**	**67**	**67**	**0**	**0**

सभी बैंकों से उक्त अभियान के तहत पात्र पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों के लंबित आवेदनों का समय से निस्तारण करते हुये सराहनीय प्रगति करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में दिनांक 08.08.2023 तक **1,05,497** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **91,618** आवेदनों में **रु. 109.19 करोड़** वितरित किए गए हैं। **13,879** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है।

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 08.08.2023					Low Performing Banks as on 08.08.2023				
Sr. No.	Bank Name	Total Sanctioned	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	Sr. No.	Bank Name	Total Sanctioned	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)
1	State Bank of India	51332	42206	54.44	1	IndusInd Bank	0	0	0.00
2	Bank of Baroda	19688	17715	18.66	2	Yes Bank Ltd.	0	0	0.00
3	Punjab National Bank	6563	6207	7.05	3	Axis Bank	13	6	0.01
4	Bank of India	5247	5215	5.84	4	Kotak Mahindra Bank Li	46	7	0.01
5	Union Bank of India	3858	3765	4.39	5	IDBI Bank	121	111	0.12
6	Central Bank of India	3238	3220	3.67	6	AU Small Finance bank	136	133	0.14
7	Indian Bank	3121	2636	3.18	7	ICICI Bank	289	289	0.29
8	Canara Bank	2620	2512	3.08	8	HDFC Bank	1511	305	0.31

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

सभी बैंकों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों को निस्तारित करें एवं स्वीकृत आवेदनों में जल्द से जल्द ऋण वितरण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, **स्वायत्त शासन विभाग** ने कहा कि-

- डॉ. भागवत कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, द्वारा Central Zone के अंतर्गत राजस्थान में PMSVANidhi की प्रगति की समीक्षा, भोपाल, मध्य प्रदेश में 28.08.2023 को प्रस्तावित है।

- राज्य में योजनान्तर्गत 45,000 ऋण आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि अस्वीकृत किए गए आवेदनों पर पुनः विचार करें।
- 16,000 स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण नहीं किया गया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इन आवेदनों में जल्द-से-जल्द ऋण वितरण करें।
- ULBs द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा जिन street vendors को बैंक शाखाओं के पास भेजा जाता है, उन्हे बैंकों द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है।
- कुछ बैंकों द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने पर उचित remarks प्रदान नहीं किए जाते हैं।
- ULBs द्वारा बैंकों के साथ संयोजन करके योजनान्तर्गत आवेदन स्त्रोत करने हेतु प्रत्येक बुधवार (**Wednesday**) शिविरों का आयोजन किया जाता है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वह अपनी शाखाओं को इन शिविरों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु निर्देशित करें।
- नए पंजीकरणों हेतु सूची विभाग को प्रेषित करें। विभाग द्वारा यह सूची संबन्धित ULBs को प्रेषित कर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया जावेगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** की टिप्पणी-

- संबन्धित विभाग से अनुरोध है कि जो आवेदन बैंकों द्वारा सही कारणों से अस्वीकृत कर दिये गए हैं, उन्हे पुनः पोर्टल पर अपलोड नहीं करें, अपितु उन्हे पोर्टल से हटवाने का श्रम करें। साथ ही जो ऋण आवेदन अनुचित या बिना कारण बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं, उन्हे ही पुनः प्रेषित करें। जो ऋण आवेदनकर्ता राज्य से बाहर प्रवास करने, इत्यादि कारणों से बैंक नहीं आ रहे हैं, उनके आवेदन भी पोर्टल से हटाने हेतु ULBs को निर्देशित करें।
- जो अस्वीकृत आवेदन पुनः पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, उनकी पेंडेन्सी re-submission की दिनांक से दिखने की जगह, आवेदन की मूल तिथि से दिखती है जो भ्रामक है। विभाग से अनुरोध है कि पोर्टल में यह अनियमितता सही करवाएँ।
- बैंकों द्वारा ULBs के पास पंजीकरण हेतु भेजे गए street vendors को ULB द्वारा महत्व नहीं दिया जाता एवं पंजीकरण करने में 10-12 दिनों का समय लगाया जाता है।
- विभाग से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत प्रगति करने के लिए बैंकों को पर्याप्त सहयोग प्रदान करने हेतु ULBs को निर्देशित करें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, **राजस्थान सरकार)**

- बैंक द्वारा PM SVANidhi योजना के तहत ऋण आवेदन स्त्रोत करने हेतु नियमित आधार पर शिविरों का आयोजन किया जाता है, तथा नए ऋण आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उक्त योजना में और अधिक प्रगति के लिए बैंकों एवं **ULB** को मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।
- बैंकों से अनुरोध है कि अस्वीकृत आवेदनों पर पुनः विचार कर, उनका उपयुक्त निस्तारण करें। साथ ही ऋण स्वीकृति एवं वितरण की पेंडेंसी का निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि उक्त योजनान्तर्गत बैंकों को सहयोग प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** की टिप्पणी- उक्त योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में नये ऋण आवेदनों की आवश्यकता है।

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी बैंकों से उक्त योजनान्तर्गत 100% लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया।

उन्होने अधिक से अधिक ऋण आवेदन स्त्रोत करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी बैंकों से अनुरोध किया कि ULBs की सहायता से ज्यादा-से-ज्यादा ऋण शिविर आयोजित करवाएँ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने **स्वायत्त शासन** विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया कि योजना की प्रगति से अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को भी नियमित रूप से अवगत करावें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य **1,36,705** के सापेक्ष दिनांक 07.08.2023 तक **29,347 खातों (21.47%)** में **रु 379.48 करोड़ (14.88%)** का ऋण वितरण किया गया है।

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 07.08.2023					Low Performing Major Banks as on 07.08.2023				
S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disbursed against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disbursed against Target
1	INDIAN BANK	2200	1653	75.14	1	IDBI BANK LTD	100	0	0.00
2	BRKGB	34710	10974	31.62	2	RSCB	3300	128	3.88
3	CANARA BANK	1050	310	29.52	3	STATE BANK OF INDIA	18500	1013	5.48
4	BANK OF BARODA	25000	7135	28.54	4	UNION BANK OF INDIA	2000	215	10.75
5	BANK OF MAHARASHTRA	90	21	23.33	5	BANK OF INDIA	2500	291	11.64
6	INDIAN OVERSEAS BANK	30	6	20.00	6	CENTRAL BANK OF INDIA	1530	187	12.22
7	ICICI BANK LTD	19000	3488	18.36	7	RMGB	5690	715	12.57
8	HDFC BANK LTD	12470	1933	15.50	8	UCO BANK	1030	145	14.08

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आईडीबीआई बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी, यूको बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

NRLM योजना के तहत वाणिज्यिक बैंकों ने 41.26%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 39.83%, निजी बैंक ने 18.47% एवं सहकारी बैंक ने 0.44% ऋण प्रदान किए हैं।

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 07.08.2023 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bank-wise PMEGP progress as on 07.08.2023												(Amt. Rs. In Cr.)
Sr. No.	MM Targets for F.Y. 23-24	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed		
		No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach
A	**114.55**	2795	169.14	940	79.03	**68.99**	1080	81.01	**70.72**	405	31.83	**27.78**

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 07.08.2023					Lowest Performing Banks under as on 07.08.2023				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed	Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed
1	BANK OF BARODA	13.11	11.75	89.58	1	AU SMALL FINANCE BANK	127.58	0.00	0.00
2	UCO BANK	5.13	3.26	63.55	2	AXIS BANK LTD	176.47	0.00	0.00
3	PUNJAB AND SIND BANK	1.36	0.65	47.48	3	BANK OF MAHARASHTRA	191.37	0.00	0.00
4	CANARA BANK	5.74	2.44	42.49	4	KOTAK MAHINDRA BANK	79.41	0.00	0.00
5	CENTRAL BANK OF INDIA	4.85	1.59	32.66	5	HDFC BANK	467.67	17.50	3.74
6	PUNJAB NATIONAL BANK	11.49	3.47	30.20	6	STATE BANK OF INDIA	2028.27	90.37	4.46
7	BANK OF INDIA	4.30	1.29	29.99	7	RAJASTHAN MARUDHARA G	608.17	54.57	8.97
8	INDIAN BANK	2.92	0.74	25.38	8	INDIAN OVERSEAS BANK	207.39	36.97	17.83
Source: PMEGP Portal									

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरएमजीबी, एचडीएफ़सी बैंक एवं एक्सिस बैंक)

योजनांतर्गत वाणिज्यिक बैंक का 88.78%, निजी बैंक द्वारा 3.25%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 7.89% एवं सहकारी बैंकों का 0.00% योगदान है।

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 04-08-2023 तक **रु 12,736.55 करोड़** के लक्ष्य के सापेक्ष **4,78,265** खातों में **रु 4,879.87 करोड़ (38.31%)** का ऋण वितरण किया गया।

दिनांक 04.08.2023 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt.
1	Shishu	3,07,134 (64%)	1,088.63
2	Kishore	1,50,849 (32%)	2,154.08
3	Tarun	20,282 (4%)	1,637.16
	Total	4,78,265 (100%)	4,879.87

सभी बैंकों से योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

स्टैंड अप इंडिया योजना Stand Up India Scheme (SUI)

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 16.06.2023 तक राज्य में **9,327** आवेदनों में राशि **रु. 2,094.33 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए एवं **4,911** खातों में **रु 875.11 करोड़** का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.03.2023 तक **रु. 635.03 करोड़** के **2,885** आवेदन स्वीकृत किए गए एवं **630** खातों में **रु 115.76 करोड़** का ऋण वितरण किया गया।

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PMFME Scheme

दिनांक 31.03.2023 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bank Wise Progress under PM FME for FY 2023-24 as on 31.07.2023 (Amt. in Cr.)													
S. N.	NAME OF BANKS	Individual Unit Target	Application Received		Application Sanctioned		Application Disbursed		Application Rejected		Pending Applications		%age Achievement
		A/c	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANK	1838	149	34.71	28	4.03	22	2.01	44	9.27	77	21.40	1.20
B	PRIVATE SECTOR BANK	570	47	11.60	10	2.09	3	0.46	5	1.37	32	8.14	0.53
C	RRB BANK	399	10	2.33	1	0.08	1	0.06	0	0.00	9	2.25	0.25
D	CO-OPERATIVE BANK	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
E	SMALL FINANCE BANK	89	4	1.02	1	0.15	0	0.00	0	0.00	3	0.87	0.00
	GRAND TOTAL	**2946**	**210**	**49.66**	**40**	**6.35**	**26**	**2.53**	**49**	**10.65**	**121**	**32.66**	**0.88**

बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 31.07.2023 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 31.07.2023													
Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank & pending for Disb.		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		Application Pending with Bank (Verified by PMU)		Application Pending with Applicant	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
A	PUBLIC SECTOR BANKS	253	271.79	86	112.62	76	105.72	10	6.90	65	100.08	47	42.68
B	PRIVATE SECTOR BANKS	136	167.15	31	30.22	27	26.38	4	3.84	88	121.51	15	12.65
C	RRB	12	8.95	5	5.19	1	1.54	4	3.66	7	3.76	0	0.00
D	CO-OP SECTOR BANKS	10	1.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.70	8	0.25
E	SMALL FINANCE BANK	9	20.11	1	1.75	0	0.00	1	1.75	5	11.87	0	0.00
	RAJASTHAN TOTAL	420	469.96	123	149.79	104	133.64	19	16.15	167	238.93	70	55.58

बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojna (IGSCCY)

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में **5,00,000** के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 01.08.2023 तक कुल प्राप्त **4,41,706** आवेदनों के सापेक्ष कुल (IGSCCY+ PMMY) **2,39,888** आवेदनों में **रु 672.16 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है जो कि लक्ष्य का **47.98%** है

IGSCCY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 01.08.2023							Low Performing Major Banks as on 01.08.2023						
S. No.	Particulars	Target	Disbursed			% Disbursed against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursed			% Disbursed against Target
			IGSCCY	PMMY	Total					IGSCCY	PMMY	Total	
		A/c	A/c	A/c	A/c				A/c	A/c	A/c	A/c	
1	INDUSIND BANK	7708	0	103261	103261	1339.66	1	YES BANK	6658	0	0	0	0.00
2	AXIS BANK	13742	16	17586	17602	128.09	2	KOTAK MAHINDRA BANK	5357	0	0	0	0.00
3	HDFC BANK	20448	742	23497	24239	118.54	3	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	2601	0	0	0	0.00
4	BANK OF BARODA	47887	11077	8524	19601	40.93	4	BANDHAN BANK LIMITED	1745	0	0	0	0.00
5	STATE BANK OF INDIA	99079	26712	13323	40035	40.41	5	IDFC FIRST BANK LIMITED	1934	0	3	3	0.16
6	PUNJAB NATIONAL BANK	53550	5924	2510	8434	15.75	6	IDBI BANK	5587	81	1	82	1.47
7	BANK OF MAHARASHTRA	4029	532	37	569	14.12	7	INDIAN BANK	13227	435	119	554	4.19
8	UCO BANK	18275	1514	1054	2568	14.05	8	ICICI BANK LIMITED	34881	1667	130	1797	5.15
9	CANARA BANK	23510	1386	1567	2953	12.56	9	CENTRAL BANK OF INDIA	17466	808	141	949	5.43
10	RMGB	14735	1426	248	1674	11.36	10	AU SMALL FINANCE BANK	11397	636	26	662	5.81

योजनांतर्गत कम प्रगति वाले बैंकों से चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इकविटास स्माल फ़ाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

सभी सदस्य बैंकों से योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है। साथ ही स्वीकृत किए हुये आवेदनों में समय से ऋण वितरण करने एवं पोर्टल पर अद्यतित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Mukhya Mantri Laghu udyog Protsahan Yojna (MLUPY)

दिनांक 26.07.2023 तक MLUPY योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana									
S. No.	Particulars	Progess as on 26.07.23 (Amt. in Rs. Cr.)							
		Target	Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement		% Ach
		A/c	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	
A	Rajasthan	10780	9954	2602.76	2355	452.78	1996	452.78	18.52

MLUPY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 26.07.2023						Low Performing Major Banks as on 26.07.2023					
S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Disbursement against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Disbursement against Target
		Total App.	Total App.	Amt (In Cr)				Total App.	Total App.	Amt (In Cr)	
1	HDFC BANK	21	66	36.98	314.29	1	BANDHAN BANK	27	0	0.00	0.00
2	UCO BANK	442	130	20.77	29.41	2	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	424	1	7.01	0.24
3	UNION BANK OF INDIA	597	169	17.15	28.31	3	YES BANK	80	1	25.00	1.25
4	CANARA BANK	444	120	46.29	27.03	4	INDUSIND BANK	75	2	48.89	2.67
5	IDBI BANK	179	42	4.44	23.46	5	ICICI BANK	579	25	1480.20	4.32
6	BANK OF BARODA	1076	250	78.88	23.23	6	BANK OF MAHARASHTRA	111	5	25.15	4.50
7	PUNJAB NATIONAL BANK	1151	259	63.80	22.50	7	PUNJAB AND SIND BANK	110	5	58.75	4.55
8	BRKGB	1026	222	27.93	21.64	8	INDIAN BANK	278	17	468.58	6.12

कम प्रगति करने वाले बैंकों से वित्तीय वर्ष 2023-24 में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध है।

(कार्यवाही: bandhan बैंक, ईक्विटास स्माल फ़ाइनेंस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक एवं इंडियन बैंक)

सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण करें। साथ ही समय से पोर्टल पर प्रगति को अद्यतित करें और सब्सिडी का दावा प्रेषित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivaasi Udyam Protsahan Yojna- 2022 (BRUPY)

दिनांक 30.06.2023 तक उक्त योजनान्तर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Progress under Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) as on 30.06.2023 (Amt. in Cr.)											
Sr. no.	Particulars	Target F.Y. 23-24	Forwarded (FIs)		Sanction (FIs)		Disbursement			Pending (FIs)	
		No. of Application	Total Applications	Amount	Total Applications	Amount	Total Applications	Amount	%age Achievement	Total Applications	Amount
A	Rajasthan All Bank	1500	1636	277.56	220	65.49	143	40.82	9.53	1409	236.36

उक्त योजनान्तर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 30.06.2023						Low Performing Major Banks as on 30.06.2023					
S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Disbursement against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Disbursement against Target
		Total App.	Total App.	Amt (In Cr)				Total App.	Total App.	Amt (In Cr)	
1	UCO BANK	80	30	331.21	37.50	1	INDIAN BANK	52	0	0.00	0.00
2	BRKGB	105	22	296.53	20.95	2	AXIS BANK LTD.	23	0	0.00	0.00
3	AU SMALL FINANCE BANK	28	4	93.85	14.29	3	ICICI BANK LTD.	77	2	150.00	2.60
4	UNION BANK OF INDIA	78	10	133.85	12.82	4	HDFC BANK LTD.	73	2	125.00	2.74
5	IDBI Bank	29	3	32.50	10.34	5	CANARA BANK	80	3	46.90	3.75
6	CENTRAL BANK OF INDIA	60	6	584.70	10.00	6	BANK OF INDIA	65	3	56.06	4.62
7	STATE BANK OF INDIA	216	19	629.05	8.80	7	INDIAN OVERSEAS BANK	29	2	13.19	6.90
8	PUNJAB NATIONAL BANK	163	14	130.20	8.59	8	RMGB	82	6	26.75	7.32

कम प्रदर्शन वाले उक्त बैंकों से अनुरोध है कि योजनांतरगत अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही: इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, केकरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और आरएमजीबी)

सभी बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण करें एवं स्वीकृत आवेदनों में जल्द से जल्द ऋण वितरण कर सब्सिडी क्लेम करें। साथ ही योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अद्यतित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 30.06.2023 तक **233** लाभार्थियों को **रु. 17.62 करोड़ (15.53%)** का ऋण वितरण किया गया है।

IMSUPY के तहत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Bank as on 30.06.2023						Low Performing Major Bank as on 30.06.2023					
Sr. No.	Bank Name	Targets	Disbursed Applications			Sr. No.	Bank Name	Targets	Disbursed Applications		
			A/c	Amt	% Ach				A/c	Amt	% Ach
1	BRKGB	141	111	8.01	78.72	1	AU SMALL FINANCE BANK	22	0	0.00	0.00
2	UCO BANK	58	14	0.96	24.14	2	BANK OF MAHARASHTRA	26	0	0.00	0.00
3	CANARA BANK	67	14	1.65	20.90	3	PUNJAB AND SIND BANK	19	0	0.00	0.00
4	CENTRAL BANK OF INDIA	59	8	0.89	13.56	4	INDIAN BANK	40	1	0.45	2.50
5	BANK OF BARODA	163	21	1.76	12.88	5	ICICI BANK LIMITED	72	2	0.51	2.78
6	RMGB	80	10	0.43	12.50	6	AXIS BANK	32	1	0.09	3.13
7	STATE BANK OF INDIA	237	22	1.08	9.28	7	HDFC BANK	62	2	0.17	3.23
8	BANK OF INDIA	54	5	0.13	9.26	8	INDIAN OVERSEAS BANK	31	1	0.03	3.23

कम प्रगति वाले बैंकों से प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

सभी बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें एवं स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरित कर सब्सिडी क्लेम करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

DAY- National Urban Livelihood Mission (NULM)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत **3,598** व्यक्तियों एवं **2,077** स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 25.07.2023 तक **552 (16.20%)** व्यक्तियों एवं **744 (37.79%)** स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है।

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2023-24 में जून, 2023 तिमाही तक राज्य में **3,093** छात्रों को राशि **रू 107.69 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 30.06.2023 तक **41,211** खातों में **रु 2,518.90** करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से **994** खातों में **रु 35.11 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है।

Sector wise NPA Position as on 31st March, 2023

राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-

कुल- 3.89%

कृषि- 8.20%

एमएसएमई- 3.11%

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 2.18%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 5.28%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- 69.43%

कुल एमएसएमई- 25.78%

कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.79%

Comparison chart of NPA (%)

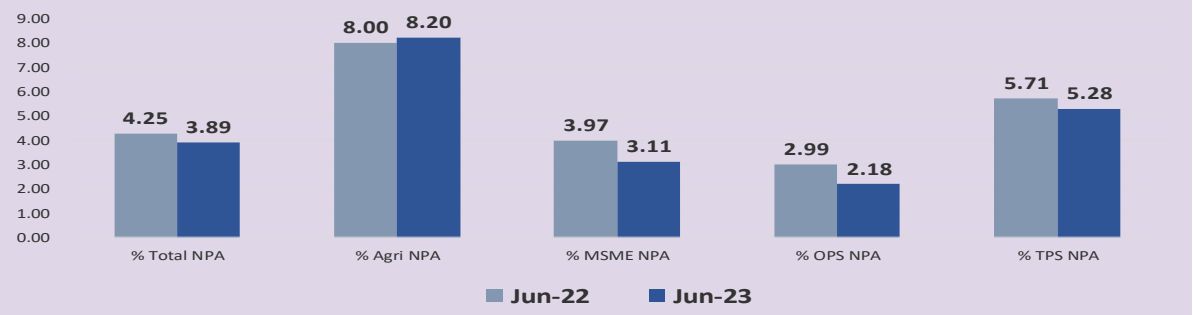

इसके पश्चात LDM Rating Matrix के तहत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले निम्न 3 अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को पुरस्कृत किया गया-

- **प्रथम स्थान**- श्री गोपाल प्रसाद, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, झुंझुनू (डीसीसी संयोजक बैंक: बैंक ऑफ बड़ौदा)
- **द्वितीय स्थान**- श्री राज कुमार मीणा, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बाड़मेर (डीसीसी संयोजक बैंक: भारतीय स्टेट बैंक)
- **तृतीय स्थान**- श्री वीरेंद्र यादव, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, टोंक (डीसीसी संयोजक बैंक: बैंक ऑफ बड़ौदा)

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।